बिशम्बर दयाल,-याचिकाकर्ता।
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी।
सी.डब्ल्यू.पी. को. 1985 का 2342
22 जनवरी 1986.

जैन, सी.जे.एस.एस. कांग और आई.एस., तिवाना, जे.जे.

पुनिया विलाए कॉमन आई-एंड्स (रेवलतिओव^ कला (आईवीआई का केवीआईटीआई-अनुभाग "एक्सए) (4) और 4- पुनिया विलाए कॉमन आई, एंड्स (पेकुलेशन) रेटीज। 1964-नियम 3(2)-एक स्ट्रैपेट का भूमि टॉरमिना वार्ट अर लेन वेस्ट- सराय में। ग्राम पंचोस शामिलात देह के रूप में - ग्राम पंचवट - क्या इसे हस्तांतरित करने में सक्षम है और न ही इसके उपयोगकर्ता को मौका देता है - विला के निवासियों के लाभ के लिए शमितात देह के एक भाग पर एक चौनल का निर्माण - ऐसा निर्माण - क्या ऐसी भूमि का वैध उपयोगकर्ता है।-जिन प्रयोजनों के लिए शामिलात भूमि का उपयोग किया जा सकता है। माना गया कि पुनियाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम की धारा 2 के खंड(4) के प्रावधानों के मद्देनजर। 1961. अबाद में 1एएन.ई.एस और सड़कें। देह और कोरह देह दिखावा हैं, हत देह। अधिनियम की धारा 4 के तहत, सभी अधिकार,स्वामित्व और हित,शमिलत देह बनियान में, ग्राम पंचवट में। रन टैब विलेज कॉमनलैंड्स(विनियमन) नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (xxii) के प्रावधानों के आधार पर 1964, ग्राम पंचायत शामिलात देह की भूमि का उपयोग ग्राम चौनाल के निर्माण के लिए कर सकती है। जहां विवादग्रस्त भूमि का स्वामित्व धारा 4 के प्रावधानों के आधार पर ग्राम पंचायत में निहित है, ग्राम पंचवट अपनी पसंद के अनुसार अधिकार प्राप्त करने का हकदार है। हालाँकि, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम-3 में शमिलत भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत में निहित शमिलत देह भूमि का उपयोग केवल नियम 3 के तहत दिए गए तरीके और उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इनमें से एक उद्देश्य ग्राम चौपाल का निर्माण है। चूंकि सड़कें और गलियां शामिल हैं और वे ग्राम पंचायत में निहित हैं, उनके अधीन भूमि को नियम 3 के उप-नियम (2) में गिनाए गए किसी एक या अधिक उपयोग के लिए रखा जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत अभ्यास में है इस शक्ति का एक हिस्सा हरिजन चौपाल के निर्माण के लिए गांव की सड़क का एक हिस्सा आरक्षित करता है। और जबकि ऐसा करते समय यह किसी बाहरी या आकस्मिक विचार से प्रेरित नहीं था तो यह न केवल स्वीकार्य था बल्कि प्रशंसनीय भी था। अधिनियम और नियम ग्राम पंचायत को नियम 3(2) में दिए गए किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए सड़क के एक हिस्से को परिवर्तित करने का अधिकार देते हैं।

(पैरा 7 और 8)

(मामला 16 जुलाई, 1985 को पूर्ण पीठ में स्वीकार किया गया, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग की खंडपीठ शामिल थी।)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय इस मामले के रिकॉर्ड को तलब करने की कृपा करेगा और उसके अवलोकन के बाद जारी करने की कृपा करेगा:।(i) अनुलग्नक पी-1, पी-3 और पी-4 को रद्द करने की सर्टिओरारी की प्रकृति 2 में एक रिट।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जिसमें उत्तरदाताओं को विवाद में संपूर्ण किराए से अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है;

(iii) मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश;

(iv) अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है;

(v) उत्तरदाताओं को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना देने की कृपा की जा सकती है;

(vi) इस रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

इसके अलावा, प्रार्थना है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान विवादित रास्ते पर कब्जे के बारे में यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया जाए।

(1) क्या कोई ग्राम पंचायत पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स की धारा 2(जी)(4) के साथ पठित धारा 4 के तहत शामिल आबादी देह या गोरा देह के भीतर किसी सड़क या गली के नीचे शमिलत भूमि के एक हिस्से को हस्तांतरित कर सकती है (विनियमन) अधिनियम, 1961, या इसके उपयोगकर्ता को बदलें? इस रिट याचिका में उठाया गया बिल्कुल कानूनी मुद्दा है। मुख्य तथ्यों का संदर्भ एक पूर्व-आवश्यकता है।

(2) (2) याचिकाकर्ता बिशंबर दयाल और गांव जैनपुर, तहसील और जिला सोनीपत के छह अन्य निवासियों ने श्रीमती के खिलाफ पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (इसके बाद इसे 'एक्ट' कहा जाएगा) की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया। . आशी और 15 अन्य निवासियों और उनके गांव की ग्राम पंचायत से अनुरोध किया कि खसरा नंबर 166 खेवट नंबर 357/358-खाताउनि नंबर 514-मिनट में शामिल 3 कनाल 19 मरला भूमि, गांव की आबादी को जोड़ने वाला एक रास्ता है। फिरनी के साथ. आवेदन दाखिल करने से पंद्रह/बीस दिन पहले, उत्तरदाताओं 1 से क्यू तक ने इस मार्ग के एक हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया और एक कमरा और एक चारदीवारी का निर्माण कर लिया। इसी तरह, उत्तरदाताओं 7 से 16 ने एक कमरा बनाकर रास्ते को बाधित कर दिया और इस तरह रास्ते के छह करम हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया। इस रास्ते का उपयोग गांव के निवासियों द्वारा किया जा रहा था और प्रतिवादियों ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और अतिक्रमण कर लिया था। ग्राम पंचायत, प्रतिवादी संख्या 17, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। यह प्रार्थना की गई कि 'प्रतिवादियों को रास्ते से हटा दिया जाए और उनके द्वारा किए गए निर्माण को हटा दिया जाए।' इस आवेदन का उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया। उत्तरदाताओं ने एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया और कहा कि प्रतिवादी 1 से 16 का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं था। उपायुक्त के निर्देश पर यह जमीन ग्राम पंचायत को हरिजन चौपाल के निर्माण के लिए दी गयी थी. चौपाल के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने सहायता अनुदान भी दिया था। विवादित जमीन पर ग्राम पंचायत ही हरिजन चौपाल का निर्माण करा रही थी. निजी उत्तरदाता ग्राम पंचायत की सहायता कर रहे थे। उत्तरदाताओं का शमिलत भूमि पर अनाधिकृत कब्जा नहीं था। रास्ता बंद नहीं

किया गया था. ग्रामीणों के उपयोग के लिए पूर्व से पश्चिम तक 25 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था।

(3) (3) पार्टियों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। आवेदकों ने कली राम, शाम लाई, दया नंद, रघबीर और दया नंद के बेटे की जांच की।

(4) (4) पक्षों के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, सोनीपत, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम पंचायत ने 2 मई, 1983 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें हरिजन चौपाल के निर्माण की अनुमति दी गई थी। भूमि, विवाद में. यह जमीन ग्राम पंचायत की थी। ग्राम पंचायत ने दिनांक संकल्प के तहत एक समिति का गठन किया था

(5) 23 सितम्बर 1983 चौपाल के निर्माण हेतु। यह ज़मीन पंचायत द्वारा चौपाल बनाने के लिए दी गई थी, जिसका उपयोग गाँव के सभी निवासियों को करना था। प्रतिवादियों का भूमि पर अनाधिकृत कब्ज़ा नहीं था। इसलिए, उन्होंने 8 अगस्त, 1984 के आदेश के तहत आवेदन खारिज कर दिया। असंतुष्ट, बिशंबर दयाल, याचिकाकर्ता और तीन अन्य इस आदेश के खिलाफ अपील में चले गए। कलेक्टर ने पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड की जांच की और एक ताज़ा विस्तृत आदेश के साथ अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखित बयान में उत्तरदाताओं की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि ग्राम पंचायत वाद भूमि और चौपाल की भी मालिक है। चौपाल का निर्माण ग्राम पंचायत सरकार से अनुदान के रूप में मिली धनराशि से कर रही थी। चौपाल निजी उत्तरदाताओं की निजी संपत्ति नहीं थी। आवेदकों ने ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायत के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। पंचायत निवासियों के कल्याण और सामान्य प्रयोजनों के लिए भूमि देने में सक्षम थी। आवेदक यह स्थापित करने में विफल रहे कि विवादों में उत्तरदाताओं का भूमि पर अनधिकृत कब्जा था। व्यथित होकर उन्होंने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

(6) (5) प्रस्ताव चरण में, उत्तरदाताओं ने विभिन्न आधारों पर रिट याचिका का विरोध किया था और खुशी पुरी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (1) में इस अदालत की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस निर्णय की सत्यता पर संदेह जताया था। रिट याचिका

(7) (1) 1978 पी.बी. लॉ जर्नल 78.

इसलिए, पूर्ण पीठ द्वारा सुनवाई का आदेश दिया गया। इस तरह मामला हमारे सामने है

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एस.के. बंसल का तर्क है कि खसरा नंबर 166 गांव की आबादी को गांव की फिरनी से जोड़ने वाला एक रास्ता था। गांव के निवासी गांव से बाहर जाने और आने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे. भले ही यह भूमि अधिनियम की धारा 2(जी)(4) के साथ पठित धारा 4 के प्रवर्तन के साथ ग्राम पंचायत में निहित हो गई हो, लेकिन वह इसकी मालिक नहीं बन गई, केवल इस भूमि का प्रबंधन ग्राम पंचायत में निहित था। ग्राम पंचायत इस भूमि का उपयोगकर्ता नहीं बदल सकती। सड़क या गली का हिस्सा बनने वाली भूमि के किसी भी हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए यह सक्षम नहीं था, हरिजन चौपाल के निर्माण के लिए इस भूमि को आरक्षित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा 2 मई, 1983 को

पारित प्रस्ताव पूरी तरह से वैध था। क्षेत्राधिकार से बाहर अधिनियम की धारा 7 के तहत याचिका के निजी उत्तरदाताओं ने सड़क पर अनधिकृत कब्ज़ा कर रखा था और अधिनियम की धारा 7 के तहत उन्हें बेदखल किया जा सकता था। सहायक कलेक्टर और कलेक्टर ने अनाधिकृत कब्जेदारों को बेदखल न करके और याचिकाकर्ता और उसके साथियों की याचिका और अपील को खारिज करके अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में भारी अनियमितता बरती। ,

(7) यह तर्क हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अधिनियम की धारा 2 के खंड (जी) के उप-खंड (4) के प्रावधानों के मद्देनजर, आबादी देह और गोरा देह में गलियां और गलियां शामिलात देह हैं। अधिनियम की धारा 4 के तहत, शमिलत देह में सभी अधिकार, शीर्षक और हित ग्राम पंचायत में निहित हैं। पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (xxii) के प्रावधानों के आधार पर ग्राम पंचायत भूमि का उपयोग कर सकती है। शामिलात देह में गांव की चौपाल बनाने का कार्य सौंपा गया। इस स्तर पर प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को पढ़ना लाभदायक होगा: -

"पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961: धारा परिभाषाएँ–इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(ए) से (एफ) ** ** *♦ **

(छ) 'शमिलात देह' में शामिल हैं-

(8) (1) ** ** *♦ *♦
(9) (2) ** ** ** **
(10) (3) ** ** ** **

(4) सड़कों, गलियों, खेल के मैदानों, स्कूलों सहित ग्रामीण समुदाय के लाभ के लिए उपयोग की गई धारा 4.–पंचायतों और गैर-मालिकों में अधिकारों का निहित होना।

(1) तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून या किसी समझौते के दस्तावेज, प्रथा या प्रथा या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी डिक्री या आदेश में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, भूमि के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित जो भी हों ,–
(ए) जो किसी गांव के शामिलात देह में शामिल है और जो शफनीलात कानून के तहत किसी पंचायत में निहित नहीं है, इस अधिनियम के प्रारंभ में, ऐसे गांव के लिए गठित पंचायत में निहित होगा, और, जहां ऐसी कोई पंचायत नहीं है ऐसे गांव के लिए गठित, उस तारीख को पंचायत में निहित होता है क्योंकि उस पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली पंचायत)-गांव का गठन किया जाता है;
(बी) ** ** ** **
पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम, 1964।
नियम 3.–जिस तरीके और उद्देश्य के लिए शामलात देह का उपयोग किया जा सकता है–अधिनियम की धारा 5 और 15(2)(ए)–
(1) ** ** ** **

(2) पंचायत अधिनियम के तहत निहित शामलात देह की भूमि का उपयोग स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए कर सकती है: -

(1) से (xxi) ** ** ** **

(xxii) पंचायत-घर, या जंजघर या गाँव चौपाल।

** ** ** ** ”

(8) इओफ़) रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को विवाद में भूमि का मालिक दिखाया गया था। याचिका के साथ संलग्न जमाबंदी प्रदर्शनी पी-2/ए में इसे 'फिरनी के भीतर गैर मुमकिन रास्ता' के रूप में वर्णित किया गया है, ग्राम पंचायत को इसका मालिक बताया गया है। आबादी देह के भीतर एक रास्ता होने के नाते यह अधिनियम की धारा 2(जी)(4) में परिभाषित शमिलात देह अभिव्यक्ति के दायरे में आता है। धारा 4 के प्रावधानों के आधार पर इसका शीर्षक ग्राम पंचायत में निहित है। इसलिए, ग्राम पंचायत इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करने की हकदार है। हालाँकि, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 3 द्वारा शमिलत भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत में निहित शमिलत देह भूमि का उपयोग केवल नियम 3 के तहत दिए गए तरीके और उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इनमें से एक उद्देश्य ग्राम चौपाल का निर्माण है। चूंकि सड़कें और गलियां शामिलात देह हैं, और वे ग्राम पंचायत में निहित हैं, जिसके तहत भूमि है उन्हें नियम 3 के उप-नियम (2) में उल्लिखित किसी एक या अधिक उपयोग में लाया जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत ने, उपायुक्त के निर्देश पर, गांव की सड़क का एक हिस्सा आरक्षित कर दिया। हरिजन चौपाल के निर्माण के लिए खसरा नंबर 166 शामिल है। ऐसा करते समय ग्राम पंचायत किसी बाहरी या संपार्श्विक विचार से प्रेरित नहीं थी; यह एक हरिजन चौपाल के निर्माण के प्रशंसनीय विचार से प्रेरित था, जिसका उपयोग गांव के सभी निवासियों द्वारा किया जाना था। अधिनियम और नियम ग्राम पंचायत को नियम 3(2) में दिए गए किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए सड़क के एक हिस्से को परिवर्तित करने का अधिकार देते हैं। इस न्यायालय की एक खंडपीठ को खुशी पुरी के मामले (सुप्रा) में अधिनियम की धारा 2(जी)(4), 4 और 5 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 3(2) पर विचार करने का अवसर मिला। यह माना गया कि ग्राम पंचायत नियम 3(2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से निहित शमिलत देह भूमि का उपयोग कर सकती है। उस मामले में चारंद भूमि का एक हिस्सा, जिसका उपयोग मवेशियों को चराने के लिए किया जाता था, वन विभाग को पेड़ लगाने के लिए सौंपा गया था, जो ग्राम पंचायत की संपत्ति थी। ग्राम पंचायत की इस कार्रवाई को डिवीजन बेंच ने सही ठहराया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री बंसल ने हमारे सामने कोई तर्क नहीं उठाया है कि ख़ुशी पुरी का मामला (सुप्रा) सही कानून नहीं बनाता है या उसके अनुपात पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम ख़ुशी पुरी के मामले (सुप्रा) के अनुपात से सम्मानजनक सहमत हैं।

(9) इनफेयरनेसएमटू में श्री.बंसलनीत7 ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तर्क दिया है कि प्रबंधन करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां गाँव की सड़कें और गलियाँ पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 169 के तहत एक नगरपालिका समिति की शक्तियों के अनुरूप हैं। नगरपालिका समिति किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक सड़क पर बिक्री के लिए सामान जमा करने की अनुमति देने की हकदार नहीं थी। यह सार्वजनिक सड़क के किसी भी हिस्से को पट्टे पर नहीं दे सकता। इस विवाद के समर्थन में उन्होंने हमें मुल्तान

नगरपालिका समिति बनाम तहबा राम और अन्य, (2) माउंट रेशम और अन्य बनाम मातु राम और अन्य (3), नगरपालिका समिति, दिल्ली बनाम मोहम्मद इब्राहिम, का हवाला दिया था। (4), सम्राट बनाम खुशाल जेरम, (5). हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं. पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 169 के प्रावधान अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। पंजाब नगरपालिका अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों के नीचे की भूमि का स्वामित्व हमेशा नगरपालिका समिति में निहित नहीं होता है। मुल्तान की नगरपालिका समिति के मामले (सुप्रा) में मुख्य नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सड़क को नगरपालिका समिति में निहित करने से उस स्थान या मिट्टी पर मालिक के अधिकार हस्तांतरित नहीं होते हैं, जिस पर सड़क मौजूद है। . नगरपालिका समिति के पास मिट्टी का स्वामित्व नहीं है, लेकिन उसके पास मिट्टी की सतह के प्रबंधन और नियंत्रण का विशेष अधिकार है। इस संदर्भ में यह टिप्पणी की गई कि नगरपालिका समिति किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिक्री के लिए सामान जमा करने की अनुमति नहीं दे सकती है; गली। माउंट रेशम के मामले (सुप्रा) में भी, सड़क के नीचे की जमीन निजी व्यक्ति की थी। यह देखा गया कि मिट्टी का स्वामित्व वादी के पास ही रह सकता है, जो निजी व्यक्ति थे। नगरपालिका समिति, दिल्ली के मामले (सुप्रा) में भी यही स्थिति है। यह माना गया कि किसी सार्वजनिक सड़क या रास्ते को नगरपालिका समिति में निहित करने मात्र से वे उसकी निजी संपत्ति नहीं बन जातीं। बॉम्बे मामले में बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 50 में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि सार्वजनिक सड़कों पर निहित सार्वजनिक सड़कों को नगरपालिका समितियों द्वारा ट्रस्टी के रूप में, प्रावधानों के अधीन और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लागू किया जाएगा। चूंकि सड़क को सड़क के रूप में उपयोग करने के लिए नगरपालिका समिति में निहित किया गया था, इसलिए नगरपालिका समिति किसी निजी व्यक्ति द्वारा इसमें किसी भी बाधा की अनुमति नहीं दे सकती है। ये अधिकारी याचिकाकर्ता की कोई मदद नहीं कर रहे हैं।

(10) हम इस विचार की परवाह करते हैं कि तत्कालीन ग्राम पंचायत किसी सड़क या गली में निहित आबादी देह या गोरा देह के भीतर भूमि के एक हिस्से को हस्तांतरित करने में सक्षम है और इसके उपयोगकर्ता को भी बदल सकता है।

(2) एआईआर 1923-लाहौर 272।

(3) एआईआर 1934-लाहौर 936।

(4) एआईआर 1935 लाहौर 196।

(5) एआईआर 1926-बॉम्बे 534।

दहलीज पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने केवल ग्राम पंचायत की उसमें निहित शमिलत देह के उपयोगकर्ता को बदलने और उसे नियम 3(2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करने की शक्ति को बरकरार रखा है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राम पंचायत के आदेशों को उपयुक्त मामले में भी इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह दुर्भावना से पारित किया गया है या बाहरी विचारों पर आधारित है या अन्यथा यह कानून के खिलाफ है।

(11) यह रिट याचिका गुण-दोष के आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है। आक्षेपित आदेशों से यह स्पष्ट है कि निजी उत्तरदाताओं ने अधिकारियों के समक्ष अनुरोध किया था कि चौपाल का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा गांव के निवासियों के लाभ के लिए राज्य सरकार से प्राप्त धन से किया जा रहा था। नीचे और चौपाल की भूमि ग्राम पंचायत की संपत्ति बनी हुई है; निजी उत्तरदाताओं को इससे कोई सरोकार नहीं था; ज़मीन उन्हें हस्तांतरित नहीं की गई थी और वे उस पर कब्ज़ा नहीं कर रहे थे। निजी उत्तरदाताओं ने रिट याचिका पर अपने लिखित बयान में भी यही रुख अपनाया है। उन्होंने दोहराया है कि चौपाल का निर्माण ग्राम

पंचायत द्वारा गांव के निवासियों के लिए किया जा रहा है; ग्राम पंचायत हरिजन चौपाल के साथ-साथ विवादित भूमि की भी मालिक है। वे केवल हरिजन चौपाल के निर्माण में ग्राम पंचायत की सहायता कर रहे थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निजी प्रतिवादियों ने विवादग्रस्त भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ा कर रखा था। द. अधिकारी सही ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि विवादग्रस्त भूमि पर उनका अनधिकृत कब्ज़ा नहीं था। निजी उत्तरदाताओं को बेदखल करने के लिए अधिनियम की धारा 7 के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

(12) उपरोक्त कारणों से हमें इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और हमने इसे खारिज कर दिया, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
कुरुक्षेत्र